

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 221 / 2019

तारीख रजु 26.12.2019

उनवान

दामोदर उर्फ दामोदर लाल पुत्र बुधराम जाति जाटव निवासी लोंगटपुरीयान का पुरा कुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

----वादी

बनाम

कलावती बेवा नारायण बगै0 जाति कोली निवासी सनेंट तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 08

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- अशोक नीमनका


निर्णय

दिनांक 18.08.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन् एक दावा नाम खेडा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 971, 974, 975 तकास्मा एवं.स्थार्ई निषेद्याज्ञा पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। दावा विद्रा करना चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 221 / 2019 दामोदर बनाम कलावती बगै0 विद्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

